न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्याय कक्ष संख्या–01, बुलन्दशहर।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः–   सन् 2026
मुकदमा अपराध संख्या:– 92 सन् 2026
सरकार बनाम सचिन आदि
धारा– 298,305,317(2) बी०एन०एस०
थाना– कोतवाली देहात, जिला बुलन्दशहर।

आदेश

दिनांकः–05.05.2026

मुकदमा अपराध संख्या 92 सन् 2026, सरकार बनाम सचिन आदि, धारा– 298,305,317(2) बी.एन.एस., थाना कोतवाली देहात, जिला बुलन्दशहर के मामले में अभियुक्तगण **सचिन, चुनचुन व राजू** का जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। अभियुक्तगण दिनांक 25.04.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं उन्हें झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण माननीय न्याालय की सन्तुष्टि के लिये उचित जमानत देने को तैयार हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

सम्बन्धित थाने की आख्यानुसार उपरोक्त अभियुक्त मु.अ.सं. 92 सन् 2026 अन्तर्गत धारा– 298,305,317(2) बी.एन.एस. में वांछित है। अभियुक्तगण दिनांक 25.04.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध हैं। वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक अभियुक्त को मु० 20,000/– रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू दाखिल उपरान्त जमानत पर रिहा किया जाता है।

(अर्जुन)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्याय कक्ष संख्या –1 बुलन्दशहर।